

राजस्थान-सरकार

कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांक:-प-5(3)आ.कृ. / एनएमओओपी / प्रदर्शन / 2017-18 /

दिनांक:- 1-6-17

3190-3359

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त),
2. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त
3. परियोजना निदेशक(आत्मा) समस्त जिला
4. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त.....
5. परियोजना निदेशक सी.ए.डी. कोटा
6. उपनिदेशक कृषि इ.गा.न.प. बीकानेर

विषय:- शुद्धि पत्र।

प्रसंग:- कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक पत्रांक 2568-2738 दिनांक 12.05.2017 के क्रम में।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा वर्ष-2017-18 हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत फसल प्रदर्शनों के प्रभावी आयोजन हेतु दिशा-निर्देश के क्रम में-प्रदर्शन आयोजन प्रक्रिया के बिन्दु संख्या 23 में प्रचार-प्रसार सामग्री वितरण को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

प्रचार-प्रसार सामग्री वितरण- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदर्शन आयोजन कार्यक्रम में कृषकों को प्रचार-प्रसार सामग्री एवं तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए उपनिदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा कृषि आयुक्तालय के आदेश क्रमांक 5385-5417 दिनांक 08.12.2015 द्वारा गठित कमेटी किसानों को उपलब्ध करवाये जाने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री एवं तकनीकी साहित्य का निर्धारण लेखा नियमों का पालन करते हुए सुनिश्चित करेगी। कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय एवं पारदर्शिता बरतते हुए नियमानुसार प्रदर्शनों के पेटे दिये जाने वाले साहित्य की प्रति का वितरण किसानों को सुनिश्चित करावे। इसके अतिरिक्त प्रदर्शन क्षेत्र पर बोर्ड भी लगाए जाने है। क्षेत्र के 10 प्रदर्शनों का एक कलस्टर बनाकर एक बोर्ड लगाया जावे, जिसमें कलस्टर के सभी 10 किसानों के फसल प्रदर्शनों के विवरण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

पृष्ठ संख्या 8 पर तिल में बिन्दु संख्या 2 में 1 से 5 एवं पृष्ठ संख्या 9 पर तारामिरा में बिन्दु संख्या 2 में 1 से 6 एवं पृष्ठ संख्या 10 पर अलसी में बिन्दु संख्या 2 में 1 से 6 तथा पृष्ठ 11 पर एनएफएसएम-गेहूँ में बिन्दु संख्या 2 में 1 से 9 तथा रबी दलहन-चना में बिन्दु संख्या 2 में 1 से 10 तथा पृष्ठ संख्या 15 पर राज्य योजना-गेहूँ में बिन्दु संख्या 2 में 1 से 9, पृष्ठ संख्या 16 पर राज्य योजना-जौ में बिन्दु संख्या 2 में 1 से 7 तथा राज्य योजना-ग्वार में बिन्दु संख्या 2 में 1 से 10 बिन्दु पढ़ें जावे।

सभी योजनाओं/फसलों के प्रदर्शनों का आयोजन कैफेटेरिया के अनुसार आयोजित किया जाना है जिसमें प्रति हैक्टेयर फसल प्रदर्शन हेतु मूंगफली में रु. 7500/-, सोयाबिन में रु. 4500/-, तिल में रु. 1800/-, अरण्डी में रु. 3000/-, सरसो में रु. 3000/-, मधुमख्खी पालन के साथ सरसों में रु. 5000/-, गेहूँ में रु. 6610/-, खरीफ दलहन में रु. 6710/-, चना में रु. 7500/-, बाजरा में रु. 3600/-, ग्वार में रु. 6110/- तथा कपास में रु. 7000/- प्रति हैक्टेयर अधिकतम अनुदान देय है।


फसल प्रदर्शन आयोजन में भारत सरकार के स्तर से दिये गये निर्देशानुसार 15 वर्ष या इसके कम अवधि में अधिसूचित फसलों की किस्मों का ही प्रयोग किया जाना है।

यदि किसी जिले में बीटी कॉटन के समन्वित फसल प्रदर्शन पर प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है तो इसके लिए बीटी कॉटन के बीज पर अनुदान नहीं देते हुए अन्य किटिकल आदान पर अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। इस प्रकार के प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों के लिए देय अनुदान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है—

क्र.स.	आइटम	राशि
1	बीज (बी टी कॉटन)	—
2	सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, बोरेक्स, माइक्रो न्यूट्रेंट मिक्सचर)	800 /—
3	बीज उपचार रसायन (कारबेन्डाजिम / ट्राईकोड्रमा)	50 /—
4	कीटनाशी / फफूंदनाशी बायोएजेंट एवं बायोपेस्टीसाइड / मैकेनिकल यंत्र द्वारा समन्वित कीट नियंत्रण (ट्राईकोड्रमा / नीडबेसड रसायन / फेरामोन ट्रैप)	2150 /—
5	किसान दिवस का आयोजन	250 /—
6	प्रचार-प्रसार सामग्री वितरण	250 /—
7	वैज्ञानिक / राजकीय अधिकारी के भ्रमण पर व्यय	300 /—
	योग	3800 /—

- नोट - 1. सिफारिश के अनुसार रसायनिक उर्वरक की व्यवस्था किसान द्वारा की जायेगी।
 2. बिन्दु संख्या 2 से 7 में यदि बचत रहती है तो आवश्यकतानुसार अन्य किसी भी बिन्दु संख्या में राशि का उपयोग किया जा सकता है।
 3. आदान की मात्रा खण्ड की पीओपी के आधार पर रखी जाएगी।


इस शुद्धि पत्र की अनुपालना करते हुए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशानुसार शतप्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करें।


 (विकास सीतारामजी भाले)
 आयुक्त, कृषि

क्रमांक:-प-5(3)आ.कृ./एनएमओओपी/प्रदर्शन/2017-18/3190-3359 दिनांक:- 1-6-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, रा0 जयपुर।
3. जिला कलेक्टर,(समस्त)/अध्यक्ष, आत्मा एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन.....
4. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, कृषि, राज0, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक कृषि/विस्तार/आदान/अनु0/मुख्यालय, जयपुर।
6. निदेशक, समेति आत्मा, कृषि निदेशालय, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक,राजफैड, भवानी सिंह रोड, जयपुर।
8. महा प्रबन्धक, राज0 राज्य बीज निगम/क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, जयपुर।
9. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक कृषि,(योजना/पौध संरक्षण/ज.उ.प्र./गुण नियन्त्रण /ए.टी.सी./एम एण्ड ई /रसायन/ आदान) को एरिया नोडल आफिसर के रूप में पर्यवेक्षण हेतु।
11. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डजयपुर /भरतपुर/ गंगानगर/ जोधपुर/ कोटा/ उदयपुर /भीलवाडा /सीकर/जालौर/बीकानेर।
12. संयुक्त निदेशक कृषि, पौध व्याधि, राईजाबिया स्कीम, दुर्गापुरा, जयपुर।
13. उप निदेशक कृषि, (विस्तार/अभियांत्रिकी/रसायन/सूचना) , मुख्यालय जयपुर।
14. उप निदेशक कृषि,(सांख्यिकी), कृषि निदेशालय जयपुर को आंकडे कम्प्यूटर में फीड करवाने हेतु प्रेषित है।


(आर0 के0 यादवेन्द्र)
संयुक्त निदेशक, कृषि (एनएमओओपी)